न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी –श्री विवेक व्यास, R.A.S

राजस्व अपील संख्या 02 / 2023

अपीलाण्टस	बनाम	उत्तरदातागण
1.गंगादेवी पुत्री पीराराम पत्नी नारणाराम जाति दर्जी निवासी बायतु तहसील बायतु 2. सतीदेवी पुत्री पीराराम पत्नी जोगाराम जाति दर्जी निवासी नौसर तहसील बायतु 3.पोनीदेवी पुत्री पीराराम पत्नी लिखमाराम जाति दर्जी निवासी बायतु तहसील बायतु 4. रेश्मीदेवी पुत्री पीराराम पत्नी जोगाराम जाति दर्जी निवासी सिणधरी तह. सिणधरी 5. कोंकुदेवी पुत्री पीराराम पत्नी पुखराज जाति दर्जी निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		1.ग्राम पंचायत भूका वर्तमान ग्राम पंचायत चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी 2. राज. राज्य जरीये तहसीलदार सिणधरी 3. बाबुलाल पुत्र सुखाराम 4. राणाराम पुत्र सुखाराम 5. नेमीचन्द पुत्र सुखाराम 6. महेन्द्र पुत्र सुखाराम 7. जसराज पुत्र सुखाराम 8. कमला पुत्री सुखाराम जाति दर्जी निवासी कितपाला तहसील सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरणकरण सं. 114 दिनांक 12.08.1970 जो ग्राम पंचायत भुका वर्तमान ग्राम पंचायत चम्पा भाखरी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थित :– श्री भुपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता अपीलांटगण की और से

विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक : 27.09.2023

1. संक्षेप में यह अपील सरहद मौजा चम्पा भाखरी, पटवार हल्का करना, भू.अभि.नि क्षेत्र भूंका वगतसिंह में कृषि भूमि खसरा सं. 249 रकबा 20.16 बीघा (3.3654 हैक्टयर) व खसरा सं. 257 रकबा 45.03 बीघा (7.3053

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हैक्टयर) के सम्बंध में पारित नामान्तरणकरण सं. 114 जो सरपंच ग्राम पंचायत भुका वर्तमान ग्राम पंचायत चम्पा भाकरी द्वारा पारित किया गया, से असंतुष्ठ होकर प्रस्तुत की है, अपील के साथ उन्होने अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब से होना व अनपढ़ होना अपील के प्रस्तुतीकरण में हुये विलम्ब की वजह बताते हुए धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि प्रश्नगत कृषि भूमि में अपीलांट के पिता पीराराम का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी का रहा, तथा उत्तरदाता सं. 3 से 8 के पिता सुखाराम का 1/4 हिस्सा रहा, शेष 1/2 हिस्सा सालगाराम पुत्र कपुराराम दर्जी कर रहा, पीराराम व सुखाराम दोनो सगे भाई थे, अपीलांट मृतक पीराराम की प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्रीया है, पीराराम वर्ष 1970 में फौत हुआ, जिस पर हल्का पटवारी ने मिलावट कर विधिक वारिसान की जांच किये बिना अकेले उत्तरदाता सं. 3 ता 8 के पिता सुखाराम के नाम फौतगी म्युटेशन सं. 114 पारित करा दिया, अपीलांट अनपढ़ व घरेलु कामकाजी महिलाए है, जिसका गलत रूप से फायदा उठाकर उत्तरदाता सं. 01 द्वारा गलत व अवैध रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई सबुत का अवसर दिये एवं बिना मृतक पीराराम के विधिक वारिसान की जांच किये एकतरफा रूप से अपीलाधीन म्युटेशन पारित कर दिया, प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्रियों के जीवित रहते मृतक के भाई के नाम नामान्तरण पारित नही किया जा सकता है, अपीलाधिन म्युटेशन पारित करने से अपीलांट के हक प्रभावित हुए है, जिससे अपील पेश की गई है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त करते हुए प्रश्नगत भूमि में अपीलांट के नाम नामान्तरण पारित करने के आदेश प्रदान करावे।

3. अपीलांट की अपील को म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई, उतरदाता को जरीये रजिस्ट्रर्ड़ नोटिस तलब किया गया, किन्तु उत्तरदातागण बावजुद तामिल व उपस्थिति बाबत् अवसर देने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटगण ने अपील के

भाखरी. पटवार हल्का करना. भू.अभि.नि. क्षेत्र भूंका बगतसिंह की राजस्व सीमा में खसरा सं. 249, 257 में अपीलांट के पिता पीराराम का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी का रहा, तथा उत्तरदाता सं. 3 से 8 के पिता सुखाराम का 1/4 हिस्सा रहा. पीराराम व सुखाराम दोनो सगे भाई थे, अपीलांट मृतक पीराराम की प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्रीया है. अपीलांट के पिता पीराराम का देहान्त होने पर उत्तरदाता सं. 01 ने वारिसान की जांच किये बिना अपीलांट के पिता पीराराम के भाई सुखाराम के नाम म्युटेशन पारित कर दिया, जबकि मौके पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है. प्रश्नगत कृषि भूमि में अपीलांट के पिता का 1/4 हिस्सा रहा, जिससे अपीलांट का अपने पिता की भूमि में 1/5–1/5 हक हिस्सा रहा, तथा प्रथम श्रेणी के वारिसान के रहते द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम फौतगी म्युटेशन पारित नही किया जा सकता, क्योकि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधान धारा 6, 8 के अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार अपीलांटगण वादग्रस्त कृषि भूमि की जन्म से खातेदार टिनेन्ट हो गयी। अपीलांट अनपढ एवं घरेलु कामकाजी महिलाए है, जिन्होने अपने पिता के देहान्त होने के बाद हल्का पटवारी को फौतगी म्युटेशन पारित करने हेतु कहा, तब अपीलांट को कहा गया कि आपके नाम म्युटेशन पारित कर दिया गया है, किन्तु दिनांक 15.02.2023 को अपीलांट अपने खेत में सार सम्भाल करने हेतु गये तो उत्तरदाता सं. 3 ता 8 ने धमकीया दी, तब अपीलांट द्वारा दिनांक 22.02.2023 को नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन करने तथा दिनांक 02.03.2023 नकल प्राप्त होने पर उक्त तथ्यो की प्रथम बार जानकारी हुई, जिससे वर्तमान अपील प्रस्तुत की है, जिसे अन्दरम्याद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमावे।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड़, दस्तावेज व अपीलाधीन भूमि का विवादित नामान्तरण का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया, जिसमें पाया कि विवादित नामान्तरण सं. 114 में पीरा, सुखा पिसरान टीकमा कौम दर्जी सा. देह इन्द्राज है, और पीरा के फौत होने पर विवादित नामान्तरण पारित हुआ, और नामान्तरण अवलोकन अनुसार पीरा की मृत्यु होने पर पीराराम का 1/4 हिस्सा सुखा के नाम इन्द्राज हुआ, अर्थात पीरा का हिस्सा भी भाई सुखा के खाते में इन्द्राज हुआ है,

उपखण्ड अधिकारी

भाखरी, पटवार हल्का करना, भू.अभि.नि क्षेत्र भूंका बगतसिंह की राजस्व सीमा में खसरा सं. 249, 257 में अपीलांट के पिता पीराराम का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी का रहा, तथा उत्तरदाता सं. 3 से 8 के पिता सुखाराम का 1/4 हिस्सा रहा, पीराराम व सुखाराम दोनो सगे भाई थे, अपीलांट मृतक पीराराम की प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्रीया है, अपीलांट के पिता पीराराम का देहान्त होने पर उत्तरदाता सं. 01 ने वारिसान की जांच किये बिना अपीलांट के पिता पीराराम के भाई सुखाराम के नाम म्युटेशन पारित कर दिया, जबकि मौके पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है, प्रश्नगत कृषि भूमि में अपीलांट के पिता का 1/4 हिस्सा रहा, जिससे अपीलांट का अपने पिता की भूमि में 1/5–1/5 हक हिस्सा रहा, तथा प्रथम श्रेणी के वारिसान के रहते द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम फौतगी म्युटेशन पारित नही किया जा सकता, क्योकि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधान धारा 6, 8 के अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार अपीलांटगण वादग्रस्त कृषि भूमि की जन्म से खातेदार टिनेन्ट हो गयी। अपीलांट अनपढ एवं घरेलु कामकाजी महिलाए है, जिन्होने अपने पिता के देहान्त होने के बाद हल्का पटवारी को फौतगी म्युटेशन पारित करने हेतु कहा, तब अपीलांट को कहा गया कि आपके नाम म्युटेशन पारित कर दिया गया है, किन्तु दिनांक 15.02.2023 को अपीलांट अपने खेत में सार सम्भाल करने हेतु गये तो उत्तरदाता सं. 3 ता 8 ने धमकीया दी, तब अपीलांट द्वारा दिनांक 22.02.2023 को नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन करने तथा दिनांक 02.03.2023 नकल प्राप्त होने पर उक्त तथ्यो की प्रथम बार जानकारी हुई, जिससे वर्तमान अपील प्रस्तुत की है, जिसे अन्दरम्याद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमावे।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड़, दस्तावेज व अपीलाधीन भूमि का विवादित नामान्तरण का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया, जिसमें पाया कि विवादित नामान्तरण सं. 114 में पीरा, सुखा पिसरान टीकमा कौम दर्जी सा. देह इन्द्राज है, और पीरा के फौत होने पर विवादित नामान्तरण पारित हुआ, और नामान्तरण अवलोकन अनुसार पीरा की मृत्यु होने पर पीराराम का 1/4 हिस्सा सुखा के नाम इन्द्राज हुआ, अर्थात पीरा का हिस्सा भी भाई सुखा के खाते में इन्द्राज हुआ है,

उपखण्ड अधिकारी

जिससे सुखाराम गलत रूप से आज भी 1/2 हिस्से का खातेदार है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड/दस्तावेजात अनुसार अपीलांटगण मृतक पीरा की विधिक प्रथम श्रेणी की वारिस है, जिनका नाम पीरा के फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्युटेशन दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन अपीलांटगण को उसके हक हकुकों से वंचित रखा गया, जिसकी ताईद ग्राम पंचायत कितपाला द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र कमांक 223/93 दिनांक 28.02.2023 अनुसार अपीलांटगण पीराराम की विधिक वारिसान है, इस प्रकार प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी नामान्तरण होने के कारण म्याद का प्रश्न ही नहीं रहता है तथा अपीलांटगण को जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अन्दरम्याद सुमार की जानी उचित प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत भी अदालत इन तथ्यों से भी भलीभांति संतुष्ठ होना चाहती है, कि मुतवफी पीराराम के अपीलांटगण के अलावा और कोई वारिसान है, अथवा नही?, ताकि पक्षकारान को विधिसम्मत न्याय मिल सके। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

6. लिहाजा अपीलांटगण की अपील अन्दरम्याद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत भूका वर्तमान ग्राम पंचायत चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी द्वारा पारित नामान्तरणकरण सं. 114 दिनांक 12.08.1970 का आदेश अपास्त किया जाता है, और प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण 135(2) आरएलआर एक्ट में दर्ज कर अपीलाधीन भूमि के मुतवफी पीराराम के वैध वारिसान की जांच करते हुए विवादित भूमि का नामान्तरणकरण नए सिरे से विधिनुसार अपीलांटगण के हक में पारित करें। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विवेक व्यास)RAS
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.09.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया